क्रम-संख्या —262

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 6 अक्टूबर, 2001

आश्विन 14, 1923 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 2456/सत्रह–वि–1—1(क)38-2001

लखनऊ, 6 अक्टूबर, 2001

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001 पर दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2001

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2001)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997 की धारा 6 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(1-क) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, ड्राइवर को छोड़कर नौ से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए रजिस्ट्रीकृत या अनुकूलित कोई मोटरयान, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 के अधीन परमिट के बिना उपयोग के लिए नहीं रखा जायगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में धारा 4 के अधीन देय कर के अतिरिक्त चतुर्थ अनुसूची के अनुच्छेद-पांच के खण्ड (क) के अधीन उस श्रेणी के यान के सम्बन्ध में देय अतिरिक्त कर से पचीस प्रतिशत अधिक अतिरिक्त कर भुगतान न कर दिया गया हो :

परन्तु इस उपधारा के उपबन्ध उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी मोटरयान पर लागू नहीं होंगे।"

धारा 10 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(एक) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(1) धारा 9 में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता उत्तर प्रदेश के बाहर हो, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन दिये गये अस्थायी परमिट के अधीन कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में नहीं चलाया जायगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में-

(एक) उत्तर प्रदेश में उसके उपयोग या ठहरने के सप्ताहों के लिए, धारा 4 के अधीन कर का, जिसकी गणना प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट समुचित दर से और उपधारा (2) में दी गयी रीति से की जायेगी, भुगतान न कर दिया गया हो;

(दो) यथास्थिति, धारा 5 या धारा 6 के अधीन अतिरिक्त कर का, जिसकी गणना छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट समुचित दर से की जायगी, भुगतान न कर दिया गया हो;

(ख) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसकी अधिकारिता उत्तर प्रदेश के बाहर हो, उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन दिये गये किसी राष्ट्रीय परमिट के अधीन कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में नहीं चलाया जायगा जब तक कि उसके सम्बन्ध में धारा 5 के अधीन अतिरिक्त कर का, जिसकी गणना तृतीय अनुसूची के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट दर से की जायेगी, भुगतान विहित रीति से न कर दिया गया हो।

(ग) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता उत्तर प्रदेश के बाहर हो, मोटर वैहिकिल्स (आल इण्डिया परमिट फार टूरिस्ट ट्रान्सपोर्ट आपरेटर्स) रूल्स, 1973 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन दिये गये परमिट के अधीन कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में नहीं चलाया जायगा जब तक कि उसके सम्बन्ध में धारा 6 के अधीन अतिरिक्त कर का भुगतान विहित रीति से चतुर्थ अनुसूची के अनुच्छेद पांच के उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट दर से न कर दिया गया हो :

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उक्त अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, कर या अतिरिक्त कर की दर में वृद्धि, जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है।

(तीन) उपधारा (2) में शब्द 'खण्ड (एक) के अधीन' के स्थान पर शब्द 'खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) के अधीन' रख दिये जायेंगे।"

धारा 22 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 22 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:-

"(3) जहां कर, अतिरिक्त कर, शास्ति या अन्य देय धनराशि का भुगतान, जिसका भुगतान न करने के कारण किसी परिवहन यान को इस धारा के अधीन अभिगृहीत या निरुद्ध किया गया हो, यान के अभिग्रहण या निरोध के दिनांक से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर उपधारा (2) के अधीन न कर दिया जाय, वहां परिवहन आयुक्त, किसी अन्य ऐसी कार्यवाही पर, जो इस अधिनियम के अधीन की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विहित रीति से यान की सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री करवा सकता है

और ऐसे यान के विक्रय आगम को ऐसे यान के सम्बन्ध में देय कर, अतिरिक्त कर, शास्ति या अन्य धनराशि और ऐसी नीलामी का व्यय, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित कर लिया जायेगा और अतिशेष को, यदि कोई हो, यान के स्वामी या संचालक को वापस कर दिया जायगा।''

चतुर्थ अनुसूची का संशोधन

5—मूल अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची में,–

(क) अनुच्छेद–एक में, खण्ड (क) में,–

(एक) क्रम संख्या 1 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "140.00" और "156.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "177.00" और "198.00" रख दिये जायंगे;

(दो) क्रम संख्या 2 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "176.00" और "197.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "223.00" और "250.00" रख दिये जायंगे;

(तीन) क्रम संख्या 3 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "223.00" और "248.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "283.00" और "314.00" रख दिये जायंगे;

(चार) क्रम संख्या 4 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "279.00" और "311.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "376.00" और "393.00" रख दिये जायंगे;

(पाँच) क्रम संख्या 5 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "362.00" और "404.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "458.00" और "511.00" रख दिये जायंगे;

(छः) क्रम संख्या 6 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "446.00" और "498.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "565.00" और "630.00" रख दिये जायंगे;

(सात) क्रम संख्या 7 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "557.00" और "622.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "705.00" और "787.00" रख दिये जायंगे;

(आठ) क्रम संख्या 8 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये शब्द और अंक "557.00 और प्रत्येक 4500 कि०मी० या उसके भाग के लिए रु० 140.00 और 622.00 और प्रत्येक 4500 कि०मी० या उसके भाग के लिए रु० 156.00" के स्थान पर क्रमशः शब्द और अंक "705.00 और 4500 कि०मी० या उसके भाग के लिए रु० 177.00 और 787.00 और प्रत्येक 4500 कि०मी० या उसके भाग के लिए रु० 198.00 रख दिये जायंगे;''

(ख) अनुच्छेद चार में, खण्ड (क) में,–

(एक) क्रम संख्या 1 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "104.00" और "117.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "131.00" और "148.00" रख दिये जायंगे;

(दो) क्रम संख्या 2 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "132.00" और "148.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "167.00" और "187.00" रख दिये जायंगे;

(तीन) क्रम संख्या 3 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "167.00" और "186.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "212.00" और "236.00" रख दिये जायंगे;

(चार) क्रम संख्या 4 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "209.00" और "233.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "265.00" और "294.00" रख दिये जायंगे;

(पाँच) क्रम संख्या 5 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "272.00" और "303.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "344.00" और "383.00" रख दिये जायंगे;

(छः) क्रम संख्या 6 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "335.00" और "374.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "424.00" और "473.00" रख दिये जायंगे;

(सात) क्रम संख्या 7 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये अंक "418.00" और "466.00" के स्थान पर क्रमशः अंक "529.00" और "590.00" रख दिये जायंगे;

(आठ) क्रम संख्या 8 के सम्मुख स्तम्भ 3 और 4 में क्रमशः दिये गये शब्द और अंक "418.00 और प्रत्येक 4500 कि०मी० या उसके भाग के लिए रु० 104.00 और 466.00 और प्रत्येक 4500 कि०मी० या उसके भाग के लिए रु० 117.00" के स्थान पर क्रमशः शब्द और अंक "529.00 और प्रत्येक 4500 कि०मी० या उसके भाग के लिए रु० 131.00 और 590.00 और 4500 कि०मी० या उसके भाग के लिए रु० 148.00 रख दिये जायंगे;"

(ग) अनुच्छेद-पाँच में,–

(क) खण्ड (क) में—

(एक) क्रम संख्या (एक) के सम्मुख दिये गये अंक "225.00" के स्थान पर अंक "300.00" रख दिये जायंगे;

(दो) क्रम संख्या (एक–क) के सम्मुख दिये गये अंक "450.00" के स्थान पर अंक "600.00" रख दिये जायंगे;

(तीन) क्रम संख्या (एक–ख) के सम्मुख दिये गये अंक "675.00" के स्थान पर अंक "2000.00" रख दिया जायगा;

(चार) क्रम संख्या (दो) के सम्मुख दिये गये अंक "4500.00" के स्थान पर अंक "10,000.00" रख दिया जायगा;

(ख) खण्ड (ख) में,–

(एक) क्रम संख्या (एक) के सम्मुख दिये गये अंक "300.00" के स्थान पर अंक "400.00" रख दिया जायगा;

(दो) क्रम संख्या (दो) के सम्मुख दिये गये अंक "3000.00" के स्थान पर अंक "4000.00" रख दिया जायगा;

(तीन) क्रम संख्या (तीन) के सम्मुख दिये गये अंक "12000.00" के स्थान पर अंक "15000.00" रख दिया जायगा।

छठवीं अनुसूची का संशोधन

6—मूल अधिनियम की छठवीं अनुसूची में, अनुच्छेद-दो में,–

(एक) क्रम संख्या (क) के सम्मुख दिये गये अंक "375.00" के स्थान पर अंक "500.00" रख दिया जायगा;

(दो) क्रम संख्या (ख) के सम्मुख दिये गये अंक "410.00" के स्थान पर अंक "500.00" रख दिया जायगा;

(तीन) क्रम संख्या (ग) के सम्मुख दिये गये अंक "450.00" के स्थान पर अंक "600.00" रख दिया जायगा;

(चार) क्रम संख्या (घ) के सम्मुख दिये गये अंक "525.00" के स्थान पर अंक "700.00" रख दिया जायगा;

(पाँच) क्रम संख्या (ङ) के सम्मुख दिये गये अंक "600.00" के स्थान पर अंक "800.00" रख दिया जायगा;

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

राज्य में मोटरयानों पर कर का आरोपण करने और किराये के लिए यात्रियों और माल के परिवहन में लगे हुए मोटरयानों पर अतिरिक्त कर का आरोपण करने की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम में, प्रदेश में बिना परमिट के संचालित मोटरयानों पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उक्त अधिनियम में, निःसंदेह राज्य के बाहर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारियों द्वारा जारी किसी अस्थायी परमिट के अधीन संचालित परिवहन यानों के राज्य में उपयोग को उक्त अधिनियम के अधीन उस पर देय कर या अतिरिक्त कर का भुगतान किये बिना प्रतिबंधित करने उसके उल्लंघन पर कर और अतिरिक्त कर के दस गुने के बराबर शास्ति आरोपित करने की व्यवस्था की गई है, किन्तु राष्ट्रीय या टूरिस्ट परमिट के अधीन संचालित परिवहन यानों के सम्बन्ध में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय :–

(क) ऐसे मोटरयानों, जो चालक को छोड़कर नौ से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए रजिस्ट्रीकृत या अनुकूलित हैं और मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 66 के अधीन किसी परमिट के बिना उपयोग के लिए रखे गये हैं, पर अतिरिक्त कर का आरोपण है;

(ख) राज्य के बाहर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारियों द्वारा जारी किसी राष्ट्रीय या टूरिस्ट परमिट के अधीन किसी परिवहन यान का राज्य में संचालन देय अतिरिक्त कर का भुगतान किये बिना प्रतिबन्धित करना और इसके उल्लंघन पर शास्ति आरोपित करना;

(ग) यान के प्रति देय कर, अतिरिक्त कर, शास्ति या अन्य राशि की वसूली के प्रयोजन के लिए परिवहन यान की सार्वजनिक नीलामी करना;

(घ) चौथी अनुसूची और छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कतिपय मदों के सम्बन्ध मे अतिरिक्त कर की दरों का पुनरीक्षण।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001 पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 2456(2)/XVII-V-1—1(KA)-38-2001

Dated Lucknow, October 6, 2001

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2001 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 2001) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 5, 2001.

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLE TAXATION (AMENDMENT) ACT, 2001

(U. P. Act No. 25 of 2001)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2001. Short title

Amendment of section 6 of U.P. Act no. 21 of 1997

2. IN section 6 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997, hereinafter referred to as the principal Act, *after* sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"*(1-A)* Save as otherwise provided in this Act, no Motor Vehicle registered, or adapted, to carry more than nine persons excluding the driver shall be kept for use without a permit under section 66 of the Motor vehicles Act, 1988 unless there has been paid in respect thereof in addition to the tax payable under section 4, an additional tax twenty-five percent more than the additional tax payable in respect of that category of vehicle under clause *(a)* of Article-V of the Fourth Schedule:

Provided that the provisions of this sub-section shall not apply to a Motor Vehicle referred to in sub-section (3) of section 66 of the said Act."

Amendment of section 10

3. IN section 10 of the principal Act,—

(i) for sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted* namely:—

"*(1)* Notwithstanding anything contained in section 9, no transport Vehicle shall ply in Uttar Pradesh,—

(a) under a temporary permit granted under the Motor Vehicles Act, 1988, by an authority having jurisdiction outside Uttar Pradesh unless there has been paid in respect thereof,—

(i) a tax under section 4 calculated at the appropriate rate specified in the First Schedule and in the manner provided under sub-section (2) for the number of weeks of its use or stay in Uttar Pradesh;

(ii) an additional tax under section 5 or section 6, as the case may be, calculated at the appropriate rate specified in the Sixth Schedule;

(b) under a national permit granted under sub-section (12) of section 88 of the said Act by an authority having jurisdiction outside Uttar Pradesh unless there has been paid in repect thereof an additional tax under section-5 calculated at the rate specified in clause (B) of the Third Schedule, in the manner prescribed.

(c) under a permit granted under sub-section (9) of section 88 of the said Act *read* with the Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Rules, 1993 by an authority having jurisdiction out-side Uttar Pradesh unless there has been paid in respect thereof additional tax under section 6 at the rate specified in sub-clause (b) of Article V of the Fourth Schedule, in the manner prescribed:

Provided that the State Government may, by notification, increase by not more than fifty per cent, the rates of tax or additional tax, as the case may be, specified in the said Schedules.":

(iii) in sub-section (2) *for* the words 'under clause (1)' the words 'under sub-clause *(i)* of clause (a)' shall be *substituted.*

Amendment of section 22

4. IN section 22 of the principal Act, *after* sub-section (2) the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(3) where the tax, additional tax, penalty or other amount due for the non-payment whereof a transport vehicle has been seized or detained under this section, is not paid under sub-section (2) within the period of forty-five days from the date of seizure or detention of the Vehicle, the Transport Commissioner may, without prejudice to any other action that may be taken under this Act, cause the vehicle to be sold by public auction in the manner prescribed and the sale proceeds of such vehicle shall be adjusted towards the tax, additional tax, the penalty or the other amount due in respect of such vehicle and the expenses, if any, of such auction and the balance, if any, shall be refunded to the owner or the operator of the vehicle."

Amendment of the Fourth Schedule

5. IN the fourth schedule to the the principal Act,—

(a) in Article-I, -in clause *(a)*.—

(i) for figure "140.00" and "156.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 1, the figures "177.00" and "198.00" shall respectively be *substituted.*

(ii) for figure "176.00" and "197.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 2, the figures "223.00" and "250.00" shall respectively be *substituted.*

(iii) for figures "223.00" and "248.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 3, the figures "283.00" and "314.00" shall respectively be *substituted.*

(iv) for figures "279.00" and "311.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 4, the figures "376.00" and "393.00" shall respectively be *substituted.*

(v) for figures "362.00" and "404.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 5, the figures "458.00" and "511.00" shall respectively be *substituted.*

(vi) for figures "446.00" and "498.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 6, the figures "565.00" and "630.00" shall respectively be *substituted.*

(vii) for figures "557.00" and "622.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 7, the figures "705.00" and "787.00" shall respectively be *substituted.*

(viii) for words and figures "557.00" plus "140.00" and "622.00" plus "156.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 8, the words and figures "705.00" plus "177.00" and "787.00 plus 198.00" shall respectively be *substituted.*

(b) in Article IV- in clause *(a)*.—

(i) for figures "104.00" and "117.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 1, the figures "131.00" and "148.00" shall respectively be *substituted.*

(ii) for figures "132.00" and "148.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 2, the figures "167.00" and "187.00" shall respectively be *substituted;*

(iii) for figures "167.00" and "186.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 3, the figures "212.00" and "236.00" shall respectively be *substituted;*

(iv) for figures "209.00" and "233.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 4, the figures "265.00" and "294.00" shall respectively be *substituted;*

(v) for figures "272.00" and "303.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 5, the figures "344.00" and "383.00" shall respectively be *substituted;*

(vi) for figures "335.00" and "374.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 6, the figures "424.00" and "473.00" shall respectively be *substituted;*

(vii) for figures "418.00" and "466.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 7, the figures "529.00" and "590.00" shall respectively be *substituted;*

(viii) for words and figures "418.00 plus 104.00" and "466.00 plus 117.00" appearing in columns 3 and 4 respectively against serial number 8, the words and figures "529.00 plus 131.00" and "590.00 plus 148.00" shall respectively be *substituted;*

(c) in Article—V

(a) in clause *(a)*,—

(i) for figures "225.00" appearing against serial number (i) the figures "300.00" shall be *substituted;*

(ii) for figures "450.00" appearing against serial number (i-a) the figures "600.00" shall be *substituted;*

(iii) for figures "675.00" appearing against serial number (i-b) the figures "2000.00" shall be *substituted;*

(iv) for figures "4500.00" appearing against serial number (ii) the figures "10000.00" shall be *substituted;*

(b) in clause *(b)*,—

(i) for figures "300.00" appearing against serial no. (i) the figures "400.00" shall be *substituted;*

(ii) for figures "3000.00" appearing against serial no. (ii) the figures "4000.00" shall be *substituted;*

(iii) for figures "12000.00" appearing against serial no. (iii) the figures "15000.00" shall be *substituted;*

Amendment of sixth Schedule

6. IN sixth Schedule to the principal Act, in Article–II,—

(i) for figures "375.00" appearing against serial no. (a) the figures "500.00" shall be *substituted;*

(ii) for figures "410.00" appearing against serial no. (b) the figures "550.00" shall be *substituted;*

(iii) for figures "450.00" appearing against serial no. (c) the figures "600.00" shall be *substituted;*

(iv) for figures "525.00" appearing against serial no. (d) the figures "700.00" shall be *substituted;*

(v) for figures "600.00" appearing against serial no. (e) the figures "800.00" shall be *substituted;*

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997) has been enacted to provide for the imposition of tax in the State on Motor Vehicles and additional tax on Motor Vehicles engaged in the transport of passengers and goods on hire. The said Act does not provide for effective control over Motor Vehicles plying in the State without a permit. The said Act, no doubt provides for restriction on the use of transport vehicles within the State under a temporary permit issued by an authority having jurisdiction outside the State without payment of tax or additional tax under the said Act and in case of default thereof, imposition of penalty equivalent to ten times of tax and additional tax, but there in no such provisions with respect to transport vichiles operating under national or tourist permit.

It has, therefore, been decided to amend this Act to provide for, —

(a) The imposition of Additional tax on such Motor Vehicles as are registered, or adapted, to carry more than nine persons excluding the driver and kept for use without a permit under section 66 of the Motor Vehicles Act, 1988;

(b) Restriction on the use of a transport vehicle within the State operating under a national permit or tourist permit issued by an authority having jurisdiction outside the State, without payment of additional tax and the imposition of penalty in the case of default thereof,

(c) Public auction of the transport vehicles for the purposes of making recovery of tax, additional tax, penalty or other amount due against the vehicle;

(d) Revision of the rates of additional Tax in respect of certain items specified in Fourth and Sixth Schedules.

The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 2001 is introduced accordingly.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 434 राजपत्र (हि०)—(1159)—2001—597—(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 172 सा० विधायी—(1160)—2001—850—(कम्प्यूटर/आफसेट)।